रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 1976/फाल्गुन 29, 1897

No. 137] **NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 1976/PHALGUNA 29, 1897**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 1976

S.O. 215(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and fifteenth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, (hereinafter referred to as the said rules), in the First Schedule,—

A. for entry 1A, the following entries shall be substituted, namely:—

"1A. Ministry of Chemicals and Fertilisers (Rasayan aur Urvarak Mantralaya).

1B. Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya):

(i) Department of Foreign Trade (Videsh Vyapar Vibhag).

(ii) Department of Export Production (Niryat Utpadan Vibhag).

(iii) Department of Textiles (Vastr Vibhag).";

B. for entry 15, the following entry shall be substituted, namely:—

"15. Ministry of Petroleum (Petroleum Mantralaya).".

3. In the Second Schedule to the said rules,—

A. after the entries under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)", the following shall be inserted, namely:—

"MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)

1. Fertilisers.
2. Drugs and other fine chemicals.
3. Caustic Soda ad Soda Ash.
4. Chlorine.
5. Sulphuric Acid
6. Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968).
7. Antibiotics.
8. Power Alcohol.
9. Potable Alcohol.
10. Heat Treatment Salts.
11. Dye-stuffs.
12. Organic and Inorganic Heavy Chemicals.
13. Micellaneous Chemicals i.e., Chemicals not specifically allocated to any other Department.
14. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
15. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
16. Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.
17. Other Public Sector Projects falling under the subjects included in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.";

B. under the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)",—

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR VIBHAG), entry 8(i)(a) shall be omitted;

(ii) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF EXPORT PRODUCTION (NIRYAT UTPADAN VIBHAG)",—

(a) in entry 2(e), the word "textiles," shall be omitted;

(b) entry 5(a) shall be omitted; and

(c) entries 6(i), 6(iii), 6(vii) and 6(xii) shall be omitted;

(iii) after the sub-heading "B. DEPARTMENT OF EXPORT PRODUCTION (NIRYAT UTPADAN VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:—

"C. DEPARTMENT OF TEXTILES (VASTR VIBHAG)

1. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of all textiles, and woollens including handlooms and ready-made garments, and industries reating to the production of silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyester, acrylic, etc.).
2. Textile Commissioner.
3. Cotton Corporation of India Ltd
4. All India Handloom Board.
5. The National Textile Corporation Ltd
6. Sericulture.
7. Central Silk Board.

8. Handicrafts and Handlooms Export Corporation.";

C. under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES (UDYOG AUR NAGRIC POORTI MANTRALAYA)", under sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)",—

(i) under sub-item "IV. Small Scale Industries", after entry 23, the following entry shall be inserted, namely:—

"23A. Soaps and Detergents.";

(ii) entry 32 shall be omitted;

(iii) for entry 34, the following entry shall be substituted, namely:—
"34. The Coir Board.";

D. for the heading "MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS (PETROLEUM AUR RASAYAN MANTRALAYA)", the heading "MINISTRY OF PETROLEUM (PETROLEUM MANTRALAYA)" shall be substituted, and under the heading so substituted,—

(i) the sub-heading "A. DEPARTMENT OF PETROLEUM (PETROLEUM VIBHAG)" shall be omitted;

(ii) *for* entry "5D" under the sub-heading so *omitted*, the following entry shall be substituted, namely:—

"5D. Plastics, including fabrication of plastics and plastic moulded goods.";

(iii) the sub-heading "B. DEPARTMENT OF FERTILISERS AND CHEMICALS (URVARAK AUR RASAYN VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted

F. A. AHMED,
President.

[No. 74/2/1/75-CF]
J. S. MONGIA, Jt. Secy.

मंत्रिमंडल सचिवालय

(मंत्रिमंडल, कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1976

का० आ० 215 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आबंटन) (एक सौ पंद्रहवां संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में,—

क. प्रविष्टि 1क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"1क. रसायन और उर्वरक मंत्रालय।

ख. वाणिज्य मंत्रालय :

(i) विदेश व्यापार विभाग ।

(ii) निर्यात उत्पादन विभाग ।

(iii) वस्त्र विभाग । ";

ख. प्रविष्टि 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"15. पेट्रोलियम मंत्रालय । ";

3. उक्त नियमों की दूसरी, अनुसूची में,—

क. शीर्षक "कृषि और सिंचाई मंत्रालय" के नीचे प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"रसायन और उर्वरक मंत्रालय

1. उर्वरक ।

2. औषधियां तथा अन्य सूक्ष्म रसायन ।

3. कास्टिक सोडा और सोडा ऐश ।

4. क्लोरीन ।

5. सल्फ्यूरिक एसिड ।

6. कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रशासन के अतिरिक्त) ।

7. एन्टीबायोटिक्स ।

8. पावर एल्कोहॉल ।

9. पेय एल्कोहॉल ।

10. ऊष्मा उपचार लवण ।

11. रंजक द्रव्य ।

12. कार्बनिक और अकार्बनिक भारी रसायन ।

13. प्रकीर्ण रसायन, अर्थात्, वे रसायन जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित नहीं किए गए हैं ।

14. विभाग से संबंधित सभी उद्योगों का आयोजन, विकास और नियंत्रण तथा उन्हें सहायता ।

15. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संलग्न अथवा अधीनस्थ कार्यालय अथवा अन्य संगठन ।

16. पायराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि० ।

17. इस सूची में सम्मिलित विषयों के अंतर्गत आने वाली अन्य सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं, जिनमें वे परियोजनाएं नहीं है, जो किसी अन्य विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई है । ";

ख. "वाणिज्य मंत्रालय" शीर्षक के नीचे,—

(i) उप-शीर्षक "क. विदेश व्यापार विभाग" के नीचे, प्रविष्टि 8 (i) (ख) का लोप किया जाएगा ;

(ii) उप शीर्षक "ख. निर्यात उत्पादन विभाग" के नीचे, —

(क) प्रविष्टि 2 (ङ) में "वस्त्र," शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) प्रविष्टि 5 (क) का लोप किया जाएगा ; और

(ग) प्रविष्टि 6 (i), 6 (iii), 6 (vii) और 6 (xii) का लोप किया जाएगा ;

(iii) उप-शीर्ष "ख. निर्यात उत्पादन विभाग" तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्षक और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"ग. वस्त्र विभाग

1. सभी वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों जिनमें हैंडलूम और सिले-सिलाए वस्त्र शामिल हैं, का उत्पादन, वितरण (देश में उपभोग और निर्यातकों के लिए) और विकास, तथा रेशम और सेलुलोसिक तन्तुओं, जिनमें गैर-सेलुलोसिक संश्लिष्ट तन्तु (नायलान, पोलियेस्टर, ऐक्रिलिक आदि) नहीं है, के उत्पादन से संबद्ध उदयोग ।

2. वस्त्र आयुक्त ।

3. भारतीय कपास निगम लि० ।

4. अखिल भारतीय हैंडलूम बोर्ड ।

5. राष्ट्रीय वस्त्र निगम, लि० ।

6. रेशम कीटपालन ।

7. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।

8. हस्तशिल्प और हैंडलूम निर्यात निगम ।" ;

ग. शीर्षक "उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के नीचे, उपशीर्षक "ख". औद्योगिक विकास विभाग, के नीचे, —

(i) उप-मद "iv लघु उदयोग" के नीचे प्रविष्ट 23 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"23 क. साबुन और अपमार्जक ।" ;

(ii) प्रविष्टि 32 का लोप किया जाएगा ;

(iii) प्रविष्टि 34 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"34. कॉयर बोर्ड ।";

घ. शीर्षक" पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय" के स्थान पर, शीर्षक "पेट्रोलियम मंत्रालय" रखा जाएगा, और इस प्रकार रखे गए शीर्षक के नीचे,—

(i) उप-शीर्षक "क. पेट्रोलियम विभाग" का लोप किया जाएगा ;

(ii) इस प्रकार लोप किये गए उप–शीर्षक के नीचे प्रविष्टि '5घ' के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

" 5घ. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं शामिल हैं।" ;

(iii) उप शीर्षक "ख. उर्वरक और रसायन विभाग" तथा उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं० 74/2/1/75–सी एफ]

जे० एस० मोंगियां, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976